



दूरभाष 0522-2288656

फैक्स 0522-2288655

E-Mail-cehydelpcl@gmail.com

कार्यालय मुख्य अभियन्ता(जल-विद्युत)
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
तृतीय तल, शक्ति भवन विस्तार
14-अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या:-

-अ-7/मु०अ०(ज०वि०)/अधि० आ० आवंटन/2017

दि०:- , , 2017

कार्यालय-ज्ञापन

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं उ०प्र० जल-विद्युत निगम लि० एवं उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के अधोनामित अधिकारीगण के नाम विभागीय अधिकारी कालोनी में रिक्त उपलब्ध आवास का स्तम्भ-4 एवं 5 में उल्लिखित विवरण के अनुसार एतद्वारा आवंटन/निरस्तीकरण किया जाता है:-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम एवं पदनाम तथा तैनाती स्थल	आवासीय स्थिति	आवंटित आवास	टिप्पणी
1	2	3	4	5
सर्वश्री				
1	श्री अतुल निगम, निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ	-	-	कार्या० ज्ञाप सं०-274-अ-7 दि० 08.03.17 द्वारा आवंटित क्लाइड रोड कालोनी में आवास सं०-17/12 का कब्जा न लेने एवं स्थानान्तरण के दृष्टिगत निरस्त किया जाता है।
2	श्री एस०के० गोयल, निदेशक (तकनीकी), उ०प्र० जल-विद्युत निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ	चन्द्रलोक ट्रांजिट-03	चन्द्रलोक 5/82(भूतल)	चन्द्रलोक ट्रांजिट-03 रिक्त करने की तिथि से चन्द्रलोक आवास सं०-5/82 आवंटित
3	अजीत सिंह, निदेशक (तकनीकी), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ।	बाहर	क्लाइड रोड 17/12	कार्या० ज्ञाप सं०-474-अ-7 दि० 02.05.17 द्वारा आवंटित चन्द्रलोक आवास सं०-5/82 को निरस्त करते हुए क्लाइड रोड आवास सं०-17/12 आवंटित

आवंटित आवास में सिविल कार्यों की कमी होने की स्थिति में आवंटीगण जानपद निर्माण खण्ड-प्रथम, लखनऊ के अधिशासी अभियन्ता से पत्राचार करें एवं नियमानुसार निर्धारित समय सीमा में आवास का अधिग्रहण करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त अधिकारियों को आवास अधिग्रहण तिथि से मकान किराया भत्ता देय नहीं होगा तथा विद्युत मद में नियमानुसार कटौती भी प्रारम्भ कर दी जाय।

अध्यक्ष आवास आवंटन समिति एवं
मुख्य अभियन्ता(जल-विद्युत)

संख्या :- 710 -अ-7/तददिनांक: 27/6/17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता(जानपद), पारेषण-द्वितीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत जानपद निर्माण खण्ड-प्रथम, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह अभिधारण लेने वाले अधिकारीगणों की सूची इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराये।
3. सम्बन्धित आवंटीगणों को इस आशय से प्रेषित कि वह नियमित आवंटित आवास का एक माह के भीतर तथा शिफ्टिंग पर आवंटित आवास का अभिधारण एक सप्ताह के भीतर करेंगे अन्यथा की स्थिति में आवंटन आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा। अधिग्रहण न लेने की स्थिति में नियमानुसार उन्हें प्रथम बार एक वर्ष के लिए वारित भी कर दिया जायेगा।
4. सम्बन्धित पदधारी।
5. मुख्य अभियन्ता, (जल-विद्युत) के शिविर सहायक।
6. कटफाइल।

(एम०के० जाखनवाल)

संयोजक एवं सदस्य

अधिकारी आवास आवंटन समिति